भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2206
दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता

2206. श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पड़ोसी देशों के साथ चल रहे सीमा तनाव को हल करने के लिए वर्तमान में किए जा रहे राजनयिक प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल की किसी द्विपक्षीय बैठक में पड़ोसी देशों द्वारा भारतीय मछुआरों को बार-बार हिरासत में लिए जाने का मुद्दा उठाया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा विदेशी समुद्री अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने समुद्री सीमाओं के निकट भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी या उत्पीड़न को रोकने के लिए पड़ोसी देशों के साथ कोई दीर्घकालिक द्विपक्षीय समझौता तैयार किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने हाल के महीनों में भारत की सीमाओं के निकट क्षेत्रीय उल्लंघनों या आक्रामक कार्रवाइयों के विरुद्ध कोई राजनयिक विरोध या आपत्ति जारी की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देते हुए भारत की प्रादेशिक संप्रभुता की रक्षा के लिए सरकार की क्या रणनीति है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री पबित्र मार्गेरिटा]

(क) भारत सरकार ने प्रभावी सीमा प्रबंधन की दिशा में प्रगति करने और सीमा पर शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए कदम उठाए हैं। चीन के संबंध में, अक्टूबर *2024* की सैन्य वापसी के बाद से कई बैठकों में ऐसे उपायों पर चर्चा की गई है, जिनमें दिसंबर *2024* में विशेष प्रतिनिधियों की *23* वीं बैठक, भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय हेतु कार्य तंत्र *(*डब्ल्यूएमसीसी*)* की मार्च *2025* और जुलाई *2025* में क्रमशः *33*वीं और *34*वीं बैठक शामिल है। पाकिस्तान के संबंध में, सरकार राजनयिक माध्यमों से सीमा पार आतंकवाद, युद्धविराम उल्लंघन और भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के किसी भी प्रयास का मुद्दा उठाती रही है।

(ख और ग) भारत सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार संबंधित सरकारों के साथ राजनयिक माध्यमों, विभिन्न आधिकारिक वार्ताओं और स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से मछुआरों से संबंधित सभी मुद्दों को उठा रही है, जिनमें भारतीय मछुआरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं की शीघ्र रिहाई और प्रत्यावर्तन शामिल है। हमारी सभी वार्ताओं में, यह बताया गया है कि इस मुद्दे पर विशुद्ध रूप से मानवीय और आजीविका के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और सभी परिस्थितियों में बल प्रयोग से बचा जाना चाहिए। इसके अलावा, संबंधित देशों में हमारे मिशन और कोंसलावास भारतीय मछुआरों की स्थिति का पता लगाने तथा उन्हें अपेक्षित समर्थन और विधिक सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय जेलों एवं हिरासत केंद्रों का नियमित दौरा करते हैं। मिशन, रिहा किए गए मछुआरों को भारत वापस लाने की सुविधा के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज भी प्रदान करते हैं।

(घ) भारत और म्यांमार ने समुद्र में अवैध गतिविधियों से संबंधित कानूनी और नीतिगत मुद्दों के समाधान हेतु सितंबर 2017 में समुद्री सुरक्षा सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी प्रकार, भारत और बांग्लादेश ने जून 2024 में समुद्री सहयोग एवं ब्लू इकॉनामी संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें मछुआरों द्वारा अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने की समस्या के समाधान और उनकी शीघ्र रिहाई में सहयोग शामिल है। श्रीलंका के संबंध में, इन मुद्दों को मत्स्य पालन संबंधी भारत-श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह की नियमित बैठकों के माध्यम से निपटाया जाता है, जिसमें तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मत्स्य पालन संबंधी संयुक्त कार्य समूह की अंतिम बैठक 29 अक्टूबर 2024 को हुई थी।

(ङ) भारत सरकार ने बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अवैध रूप से पार करने की लगातार हो रही घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। दिसंबर 2024 में, भारत सरकार ने अंतरिम सरकार के एक सलाहकार द्वारा सोशल मीडिया पर बांग्लादेश का एक गलत नक्शा पोस्ट करने की कड़ी निंदा और विरोध किया था, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन था। इसके अलावा, भारत सरकार ने जून 2025 में बांग्लादेश की एक घरेलू एयरलाइन द्वारा

अनजाने में हवाई सीमा का उल्लंघन करने का मामला उठाया, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

(च) भारत सरकार, भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर निरंतर नज़र रखती है और उनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है। भारत आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, रक्षा उत्पादन से लेकर तकनीकी नवोन्मेषिता तक अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सुदृढ़ कर रहा है।

*****